उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-53/2023/एस-2-।/364237/दस-2023-29/2023

लखनऊ :: दिनॉक:07 अगस्त, 2023

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	अतिरिक्त कार्यभार का पद व स्थान
1	2	3
1	श्री सुशील कुमार गुप्ता, वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ ।	वित्त अधिकारी, डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2	श्री संत प्रकाश सिंह, वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	वित्त अधिकारी, मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संजीव सिंह

विशेष सचिव।

<u>संख्या-53/2023-एस-2-।/364237(1)/दस-2022,तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।

2- कुलपति, डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3- कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।

4- कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

5- कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

8- समस्त संबंधित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उ0प्र0।

9- संबंधित अधिकारीगण ।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजवीर सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।